


**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**
वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)**संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001****Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502**

29 सितंबर 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन में,

- नए ऋण और अग्रिमों के लिए, लागू विनियामक सीमा के 50% तक एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा कम नहीं की;
- मीयादी जमाराशियों/ एनएससी/ केवीपी/ बीमा पॉलिसी जैसी संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत और संवितरित किए;
- तुलन-पत्र का आकार बढ़ाया; और
- जमा राशियां बढ़ाईं।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक